10 COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

5 COURT FEE INDIA भारत पांच रुपये FIVE RUPEES

52

CP15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क्र० /2005 रिव्यू 18 II /06

हरनं तनय तुलसिया चमार
निवासी ग्राम बडा मलहरा तहसील बिजावर
जिला छतरपुर म०प्र० -----आवेदक•

बनाम

गरीबा तनय गोला चमार निवासी ग्राम
बडा मलहरा तहसील बिजावर जिला
छतरपुर म०प्र० -----अनावेदक•

Mahud. 12.1.06

श्री PH M. ... द्वारा आज दि० 5.1.06 प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

(SPD bakad. 5.1.06 ...)

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-51 म०प्र० भू राजस्व संहिता -1959 विरूद्ध आदेश विद्वान श्री एम•के• सिंह सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर जो कि प्रकरण क्र० आर•एन•698-दो/2001, दिनांक 9•11•2004 को पारित किया गया । व जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29•12•05 को प्रदाय की गई ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र निम्न प्रकार पेश है । -

प्रकरण के तथ्य:
===========

यहकि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमनी तह-सील बिजावर स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे न• 886/0•142, 1023/0•142, 1030/2/0•253, 1180/2/3/0•189, 1181/1/ 0•040 हैक्टर के एक मात्र भूमि स्वामी व अधिपत्यधारी हरनं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 18–दो/06 **जिला** –कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5.5.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 पी0 धाकड़ अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 698–दो/2001 में पारित आदेश दिनांक 09.11.04 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 18–दो/06 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 698–दो/2001 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 09.11.04 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 18–दो/06 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

 रिव्यु. 18 ए/06

अ– नई एवं महत्त्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य